P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण हेतु भारतीय नीतिगत प्रावधानः एक मूल्यांकन

उषा कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय,
आजमगढ़, उ.प्र., भारत

सारांश

महिला सशक्तिकरण किसी भी देश के लिये लैंगिक समानता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। भारत में महिला अधिकारों को संरक्षित करने हेतु अनेकों वैधानिक प्रावधान किये गए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सामाजिक समानता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें लैंगिक समानता को नकारा नहीं जा सकता। महिलाओं का देश की उन्नत्ति में भागीदारी उनको दिए गए अधिकारों पर निर्भर करती है। परम्परागत धारणाओं के विपरीत आधुनिक समय में महिला को उनको अधिकारों के प्रति सचेत करना और उनको अधिकार देना ही लैंगिक समानता को बढ़ाने का कार्य करता है। अधिकारों के आभाव में देश के नवनिर्माण में बाधा स्वाभाविक है, जिसको दूर किया जा सकता है और समाज को आगे ले जाय जा सकता है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, अधिकार, मूल्यांकन।

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण द्वारा सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास और चेतना जागृत कर उन्हे सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इस दिशा मे विश्व के कई देश महत्वपूर्ण उपाय पहले से कर चुके है। भारत में भी इस दिशा मे कुछ रचनात्मक कदम उठाए जा रहे है। वर्षों से महिलाओ पर किए गए वर्चस्व और भेदभाव के कारण महिला सशक्तिकरणकी अनिवार्यता परिलक्षित हुयी है। भारत में देवी की पूजा की जाती है, महिलाओं को उचित सम्मान भी दिया जाता है, परन्तु दूसरी ओर परमपराओं और धार्मिक मान्यता की आड़ मे उन पर दुराचार भी किया जाता है। उदाहरण के लिएः– सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिंसा,यौन उत्पीड़न, घर या काम के स्थान पर, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा आदि।

सशक्तिकरण का अर्थ व्यक्ति की उस क्षमता से है, जिससे वह योग्यता आती है जिससे वह अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण की दशा में महिलाएं परिवार और समाज बंधनो से मुक्त होकर अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। जिससे वे हर क्षेत्र में खुद का फैसला ले सकें, चाहे वे स्वयं, बच्चे, परिवार, समाज या देश के लिए हो। देश को पूरी तरह विकसित बनाने के लिए और विकास के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है महिला सशक्तिकरण। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं को उपयुक्त और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है । जिससे वे हर क्षेत्र में खुद का फैसला ले सकें, चाहे वे स्वयं, बच्चे, परिवार, समाज या देश के लिए हो। देश को पूरी तरह विकसित बनाने के लिए और विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत ही जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण ।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए उसकी समीक्षा करना। विश्व के लगभग विकसित राष्ट्रों में महिला अधिकारों को महत्व दिया जाता है, बिना समानता के समाज के अग्रसर होने की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। आज इस वैश्वीकरण के समय भारत देश को अपनी आधी से अधिक आबादी को सशक्त बनाना है जिसके लिए उचित नीतियां प्रभावशाली होंगी। इन नीतियों से न केवल महिला को उचित स्थान मिलेगा बल्कि समाज भी सशक्त होगा।

महिला सशक्तीकरण नीति

भारत में महिला अधिकारों के प्रति नीतिगत परिवर्तन होते रहे हैं। वर्ष 2011 में महिला सशक्तिकरणकी नीति को अपनाया गया। भारत के संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत इसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। लोकतान्त्रिक प्रणाली के अंतर्गत भारतीय कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की उन्नति के लिए उपाय किये गए हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के समय से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्ठिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को में सुधार करने के लिए महिला सशक्तीकरण को प्रमुख नीतिगत बिंदु को अपनाया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों के सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

नीतिगत लक्ष्य

वर्ष 2011 के राष्टीय महिला सशक्तिकरणके नीति का लक्ष्य महिलाओं को विकास में भागीदारी के साथ–साथ उनको सशक्त करना है। इस नीति के उद्देश्यों अन्तर्गत सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें। राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल – सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच हो, स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा। महलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समापति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण इस नीति का लक्ष्य है। महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भादीदारी के माध्यम से सामाजिक सोच ओर सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाकर ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।

कानून एवं न्याय प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओं, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और वैयक्तिक हमले के मामलों में अधिक क्रियाशील तथा महिला समाज हेतु सुग्राही बनाया जाएगा। त्वरित न्याय और अपराध की संवेदनशीलता के आधार पर दोषियों को दण्डित करने के लिए नए कानून निर्मित होंगे और पुराने कानूनों की पुनरीक्षा की जाएगी। समस्त हितधारकों की पूर्ण सहभागिता से महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता और अभिभावकत्व से सम्बन्धित व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन के प्रयास किये जायेंगे। महिलाओं को समाज में आर्थिक आधार पर उनको हक प्रदान करने में कभी भी सहमति नहीं बन पायी है जिससे उनकी स्थिति पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निम्न श्रेणी की रह गयी है।

इस नीति का उद्देश्य सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को न्यायपूर्ण बनाने के लिए कानूनों में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना है। सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, औद्योगिक, सांवैधानिक निकायों तथा सलाहकार आयोगों, समितियों, बोर्डों, न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण वाले निकायों में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता को निर्धारित करने के लिए सभी उपाय होंगे। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महिला अनुकूल नीति का क्रियान्वयन होगा।

आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण उनको समानता के पायदान पर लेकर खड़ा कर सकता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए समष्टि आर्थिक नीतियां व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आर्थिक सबलता को बढ़ाने में योगदान सिद्ध होगी। उपभोग तथा उत्पादन के लिए ऋण, महिलाओं की पहुंच में वृद्धि के लिए नए सूक्ष्म–ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वित्तीय कार्ययोजना संचालित की जाएगी। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के माध्यम से ऋण का पर्याप्त प्रवाहको सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहायक उपाय किए जाएंगे ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी महलिाओं की ऋण तक पहुँच सरल हो। ऐसी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाकर बृहद् आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में महिला परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। उत्पादकों तथा कामगारों के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में उनके योगदान को औपचारिक और गैर औपचारिक (घर में काम करने वाले कामगार भी शामिल) क्षेत्रों में मान्यता दी जाएगी तथा रोजगार और उनकी कार्यदशाओं से संबंधित समुचित नीति लागू की जाएगी।

वैश्वीकरणः महिलाओं की स्थिति

वैश्वीकरण ने महिलाओं को समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और इसके महिला के अधिकारों पर प्रभाव का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाए गए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों से स्पष्ट तौर पर पता चला है कि रोजगार तक

पहुंच तथा रोजगार की गुणवत्ता के लिए नीतियों को दोबारा बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं जिससे विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित कार्य परिवेश के कारण व्यापक आर्थिक असमानताओं, महिलाओं में निर्धनता, लैंगिक असमानता में वृद्धि देखि जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से निकलने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यनीतियां लागू होंगी।

महिलाएं और कृषि

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उनकी संख्या के अनुपात में महिलाओं तक पहुंचें। कृषि क्षेत्र के महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से संबद्ध अन्य व्यवसायों जैसे कि बागवानी, लघु पशुपालन सहित पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

महिलाएं और उद्योग

सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.), इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका इन क्षेत्रों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भागीदारी के लिए उन्हें श्रम विधान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायता सेवाओं के रूप में व्यापक सहायता दी जाएगी। इस समय महिलाएं चाहकर भी कारखानों में रात्रि में काम नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को रात्रि पारी में काम करने में समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें सुरक्षा, परिवहन इत्यादि जैसी सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

सहायता सेवाएं

महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं जैसे कि बाल देखाभाल सुविधाएं जिनमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं में क्रेच भी शामिल है, वृद्ध और निःशक्त लोगों के लिए गृहों का विस्तार तथा सुधार आवश्यक है ताकि परिवेश को अनुकूल बनाया जाए तथा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में उनका पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। विकासात्मक प्रक्रिया में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु महिला अनुकूल कार्मिक नीतियां बनाई जाएंगी।

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरणः विभिन्न आयाम

शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र में महिला की भागीदारी उनके नामांकन दर को बढ़ाने से होगी जिसके लिए शिक्षा तक समान पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी (जेंडर सेंसटिव) शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार व्यावसायिक तकनीकी कौशलों के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों को समयबद्ध प्राप्त किया जाएगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में एक के रूप में परंपरागत विचारधारा को समाप्त करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

भारत में महिला स्वास्थ्य के प्रति जारूकता को बढ़ने की आवश्यकता है, इसके आभाव में महिलाओं का देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती। महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।

ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे जो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बीमारियों के साथ–साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखा जाएगा। एचआईवी एड्स तथा अन्य यौन संचारित बीमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में सुलझाया जाएगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता अपेक्षित है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा।

पोषण

पोषण महिला स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखता है, चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात शैशवकाल एवं बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। नीतियों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। घरों के अन्दर पोषण में असमानता के मुद्दों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पोषण शिक्षा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रदायगी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास और आश्रय

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। महिलाओं जिसमें एकल महिलाएं भी शामिल हैं, घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और अधिक शामिल करने के लिए कार्यकमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इन उपायों में उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने के लिए लड़कियों को प्रेरित करना तथा यह भी सुनिशचित शामिल होगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी निविष्टियों वाली विकासात्मक परियोजनाओं में महिलाएं पूर्ण रूप से शामिल हों। वैज्ञानिक मनोदशा और जागृति को विकसित करने के प्रयासों को भी और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। संचार और सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे जिनमें उनके पास विशेष कौशल हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने तथा साथ ही कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करते रहने की उनकी प्रथा को कम करने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हिंसा रोकथाम

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा, चाहे यह शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर, जिसमें रिवाजों, परम्पराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, से प्रभावी ढंग से निपटना जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न समेत ऐसी हिंसा एवं दहेज जैसी प्रथाओं की रोकथाम के लिए, हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए और इस प्रकार की हिंसा करने वाले अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं और तंत्रों/स्कीमों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार से निपटने वाले कार्यक्रमों और उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

संस्थागत तंत्र

महिलाओं की उन्नति को बढावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर विद्यमान संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये उन उपायों के माध्यम से किए जाएंगे जो उपयुक्त हों तथा अन्य बातों के साथ–साथ ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थूल नीतियों, विधायन, कार्यक्रमों आदि को कारगर ढंग से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण तथा समर्थनीय कौशलों आदि के प्रावधान से संबंधित होंगे। इस नीति के प्रचालन की नियमित आधार पर निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य परिषदों गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य मंत्री राज्य परिषदों के अध्यक्ष होंगे और इसकी संरचना व्यापक स्वरूप की होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, कारपोरेट क्षेत्र, श्रमिक संघों, वित्तीय संस्थाओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के प्रतिनधि शामिल होंगे।

यह निकाय वर्ष में दो बार इस नीति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद को सलाह तथा टिप्पणियों के लिए नीति के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समय–समय पर सूचित भी किया जाएगा। सूचना एकत्र करने तथा प्रसार करने, अनुसंधन कार्य आरंभ करने, सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रम आदि क्रियान्वित करने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय और राज्य महिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। महिला समूहों की सहायता की जाएगी ताकि वे अपने आप को रजिस्टर्ड सोसाइटियों के रूप में संस्थानीकृत कर सकें तथा पंचायत/नगर पालिका स्तर पर संघबद्ध हो सकें। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं समेत सरकारी तथा गैर सरकारी चैनलों के माध्यम से उपलब्ध संसाधन आहरित करके तथा पंचायतों नगर पालिकाओं के साथ गहन अन्तरापृष्ठ (संबंध) स्थापित करके ये सोसाइटियां सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों का सहक्रियात्मक क्रियान्वयन करेंगी।

पंचायती राज संस्थाएं

भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों (1993) ने राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंयायती राज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभगिता बढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थनीय स्वशासन संस्थाएं बुनयादी स्तर पर राष्ट्रीय महिला नीति के क्रियान्वयन तथा निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल होंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस नीति का उद्देश्य महिला अधिकारिता के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं/प्रतिबद्धताओं जैसे कि महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों के भेदभाव पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू), बाल अधिकारों पर अभिसमय (सीआरसी), अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (आईसीपीडी़5) तथा इस तरह के अन्य लेखों का क्रियान्वयन करना है। अनुभवों की हिस्सेदारी, विचारों तथा प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से तथा द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय भागीदारियों के माध्यम से महिलाओं की अधिकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रहेगा।

निष्कर्ष

महिला सशक्त होगी तो समाज में अपरिवर्तन आएगा, आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और समाज में समानता दिखलाई पड़ेगी। महिलाओं के लिए बनायीं गयी नीतियों (2001 तथा 2016) को जनजागरूकता से समाज में ले जाना होगा जिससे महिला अपने अधिकारों के प्रति समझ बढ़ाएं और नीतिगत लाभ प्राप्त करें। वर्तमान समय में

महिला अधिकारों को लेकर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यह उचित होगा कि महिला को समस्त अवसर उपलब्ध कराएं जाएँ जिससे वह परंपरागत सोच की बाधाओं को पार कर अपने अधिकार को हासिल कर सके। इसी में देश की भलाई है और महिलाओं की प्रगति भी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

महरोत्रा, ममता। (2011). महिला अधिकार और मानव अधिकार. पटनाः प्रभात प्रकाशन.

भारत सरकार, महिला और बाल मंत्रालय। (2015). राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरणनीति. पुनः प्राप्तः http%//wcd-nic-in/hi/womendevelopment/

वढेरा, किरण व कोरेथ. जॉर्ज. (2017). ग्रामीण महिल सशक्तीकरण. नयी दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स.

जेटली, ममता व शर्मा, श्रीप्रकाश. (2006). आधी आबादी का संघर्ष. दिल्लीः राजकमल प्रकाशन.

जैन, अरविन्द व मंडलोई, लीलाधर. (2004). स्त्रीः मुक्ति का सपना . नयी दिल्लीः वाणी प्रकाशन.